भारत गणराज्य सरकार

तथा

बोसनिया व हर्जेगोविना मंत्रिपरिषद

के बीच

विमान सेवा करार

अनुच्छेद-1
परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ, जहाँ पाठ में अन्यथा अपेक्षा नहीं की गई है-

1. "वैमानिकी प्राधिकारी" का आशय प्रत्येक पक्ष के लिए समय-समय पर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिखित रूप में यथा अधिसूचित प्राधिकारी प्राधिकारियों से;

2. 'करार' का आशय इस 'करार', इसके अनुबंधों तथा इनमें किए गए किसी भी संशोधन से है;

3. 'अभिसमय' का आशय, 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें वह कोई भी संशोधन शामिल है जो भमि समय के अनुच्छेद 94(क) के अधीन लागू किया गया तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षों ने कर दिया है तथा इसमें इस प्रकार के अनुबंध अथवा संशोधन दोनों पक्षों के लिए भी किसी नियम समय में प्रभावी हो जाते है, अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन कोई भी अनुबंध अथवा संशोधन को अपनाया गया है;

4. 'हवाई सेवा', 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा', 'एयरलाइन' तथा 'गैर यातायात प्रयोजनों के लिए स्टाप' का आशय वही है जो इनके लिए अभिसमय के अनुच्छेद 96 में दिया गया है;

5. 'नामित एयरलाइन' का आशय एक ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 (नामित और प्राधिकृत करना) के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो।

6. 'टैरिफ' का आशय यात्रियों (और उनके सामान) के वहन और/अथवा कार्गो (डाक को छोड़कर) एयरलाइनों जिसमें उनके एजेंट भी शामिल हैं द्वारा वसूले जाने वाले विमान सेवा प्रभार के लिए किसी किराया, दर अथवा प्रभार से है तथा वे शर्तें भी हैं जो इस प्रकार के किराए, दर अथवा प्रभार की उपलब्धता को भी शासित करती है;

7. 'राज्य-क्षेत्र' का आशय वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसके लिए दिया गया है; तथा

8. 'प्रयोक्ता प्रभार' का आशय उस प्रभार से है जिसे हवाईअड्डा, विमान दिक्चालन अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं अथवा सेवाओं की व्यवस्था के लिए एयरलाइनों पर लगाए जाने वाले प्रभार से है जिसमें संबंधित सेवाएं तथा विमानों, उनके कर्मीदल, यात्रियों, सामान तथा कार्गो से संबंधित सुविधाएं सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद - 2
अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार के उपयुक्त खंड अथवा अनुबंध के भाग में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को एतत्पश्चात क्रमशः 'सहमत सेवाएं' तथा "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है।

2. इस करार के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

(क) बिना अवतरण किए दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने का अधिकार;
(ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में रूकने का अधिकार; और
(ग) इस करार के अनुबंध में उस मार्ग के लिए विनिर्दिष्ट अवतरण स्थलों पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) को दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में डाक सहित यात्रियों तथा कार्गो अन्तरराष्ट्रीय यातायात के अनुसार अलग से अथवा संयुक्त रूप से उतारने तथा चढ़ाने का भी अधिकार होगा;

3. इस करार के अनुच्छेद 3 के अधीन उन नामित कम्पनियों के अलावा प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी (कम्पनियों) भी इस अनुच्छेद के पैरा (2) के उप पैरा (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकारों की हकदार होंगी।

4. इस अनुच्छेद के पैरा (2) का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी (कम्पनियों) द्वारा आय संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र में डाक सहित यात्रियों और कार्गो को विमान पर लेने का विशेष अधिकार मिल गया है जिसे उस पक्ष के राज्य-क्षेत्र में किसी अन्य अवतरण स्थल के लिए भेजा जा रहा है।

5. यदि विशेष अथवा असामान्य परिस्थितियों के कारण, एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन अपने सामान्य मार्ग पर सेवा प्रचालित करने में असमर्थ हो तो दूसरा संविदाकारी पक्ष दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णय किए अनुसार मार्गों के उपयुक्त अस्थाई पुनः व्यवस्था करके ऐसी सेवा का सतत प्रचालन सुगम बनाने के सभी भरसक प्रयास करेगा।

6. एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइनों को, गैर बिना किसी पक्षपात के, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये हवाईमार्गों, हवाईअड्डों तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा ।

अनुच्छेद - 3
एयरलाइनों को नामित तथा प्राधिकृत करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को निर्दिष्ट रूटों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के प्रयोजनार्थ विमान कंपनी अथवा विमान कम्पनियों को नामित करने इस प्रकार वापस लेने अथवा फेर-बदल कर करने का अधिकार होगा । इस प्रकार की नामित कंपनियों के नाम की जानकारी लिखित रूप से दूसरे संविदाकारी पक्ष को राजनयिक माध्यम के द्वारा देनी होगी तथा इसकी पहचान की जाएगी कि क्या एयरलाइन अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं के प्रकार के विमानों के अनुरूप प्राधिकृत है।

2. दोनों में से किसी पक्ष की नामित विमान कंपनी (कंपनियों) से इस प्रयोजनार्थ निर्धारित फार्म तथा तरीके से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष वैमानिकी प्राधिकारी न्यूनतम प्रक्रिया संबंधी देरी किये बिना उपयुक्त प्रचालन प्राधिकार संबंधी अनुमति प्रदान करेंगे बशर्ते कि:-

(क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिक में विदित हो;

(ख) नामित विमान कम्पनी जो आवेदन पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए सामान्यतया लागू नियमों और विनियमों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए अर्हता प्राप्त हो; और

(ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्ष अनुच्छेद-9 (संरक्षा) तथा अनुच्छेद-10 (विमानन सुरक्षा) में निर्धारित मानकों का अनुरक्षण तथा प्रशासन कर रहा हो।

अनुच्छेद - 4
प्रचालन प्राधिकार का प्रतिसंहरण अथवा निलम्बन

1. दोनों में से कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन को प्रदत्त प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहरण अथवा निलंबित कर सकता है अथवा निम्न में से किसी भी स्थिति में जैसी आवश्यक समझे शर्तें लगा सकता है:

(क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण दूसरे संविदाकारी पक्ष इस के राष्ट्रिकों में निहित नहीं हो।

(ख) वह एयरलाइन इस करार के अनुच्छेद-6 (कानूनों को लागू करना) में उल्लिखित कानूनों तथा विनियमों का पालन करने में विफल रही हो; अथवा

(ग) दूसरा संविदाकारी पक्ष इस करार के अनुच्छेद-9 (संरक्षा) में निर्धारित मानकों का अनुरक्षण और प्रशासन नहीं कर पर रहा हो ।

2. जब तक इस अनुच्छेद के पैरा (1) के उप पैरा (ख) अथवा (ग) के अनुसार दूसरो आगे और अनुपालन न करने की प्रवृति को रोकने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना अनिवार्य न हो, इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का निर्वाह दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा।

3. यह अनुच्छेद दोनों में से किसी पक्ष के अधिकारों को अनुच्छेद-10 (विमानन सुरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकार पर रोक लगाने, प्रति-संहरण करने, सीमित करने अथवा शर्तें लगाने के संबंध में सीमित नहीं करता हैं।

अनुच्छेद-5

सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षों की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को एक-दूसरे राज्य-क्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने का निष्पक्ष तथा समान अवसर होगा ।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति पर दोनों पक्षों के बीच सहमति होगी ।

3. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में की जाने वाली कोई भी वृद्धि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार होगी। ऐसे किसी समझौते अथवा सहमति होने तक, पहले से लागू क्षमता तथा आवृत्ति संबंधी हकदारियां लागू रहेंगी।

4. उपर्युक्त के बावजूद, प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें इस करार में अनुबंधित मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थलों के होते हुए भी तीसरे, चौथे तथा पांचवें स्वत्रंत यातायात अधिकारों के साथ विमान के किसी भी प्रकार से एक दूसरे के क्षेत्र के बीच किसी भी संख्या में सर्व-कार्गो सेवाएं प्रचालित करने के लिए पात्र हैं । ऐसी सभी सर्व-कार्गो सेवाएं तीसरे देशों की एयरलाइनों सहित किसी अन्य एयरलाइन के साथ, सहकारी विपणान व्यवस्थाओं जैसे कोड शेयरिंग, ब्लॉक्ड स्पेस आदि के अंतर्गत प्रचालित होंगी ।

अनुच्छेद - 6
विधि की प्रयुक्ति

1. एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते, वहां रहते अथवा वहां से प्रस्थान करते समय, विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित इसके कानूनों, विनियमों तथा क्रियाविधियों का दूसरे संविदाकारी पक्ष नामित की एयरलाइनों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

2. एक पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश, इसके अन्दर रहने तथा वहां से प्रस्थान करते समय, यात्रियों, सामान, कर्मीदल अथवा विमान में कार्गो (प्रवेश, क्लीयरैंस, विमान सुरक्षा, आब्रजन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संगरोध अथवा डाक के संबंध में, डाक विनिमय सहित) इसके राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अथवा प्रस्थान करने वाले यात्रियों और अन्य मदों से संबंधित इसके कानून और विनियमों का अनुपालन दूसरे पक्ष की एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मीदल अथवा कार्गो के शीपर्स द्वारा अथवा उनकी ओर से तदनुरूप अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद में प्रदत्त कानूनों तथा विनियमों तथा प्रक्रियाओं को लागू करने में इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन में रत दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी किसी अन्य एयरलाइंस अथवा अपनी स्वयं की एयरलाइंस को कोई अग्रता प्रदान नहीं करेगी ।

4. दोनों में से किसी भी पक्ष के राज्य-क्षेत्र में हिंसा एयर पायरेसी, नारकोटिक्स कन्ट्रोल आदि के प्रति सुरक्षोपाय के अलग प्रत्यक्ष आवागमन करने स्थिति में विमान के यात्री, बैगेज तथा कार्गो के लिए इस प्रकार के प्रयोजन के लिए आरक्षित हवाई अड्डे का कोई लीविंग एरिया नहीं होता है और इन पर सामान्य रूप से ही नियंत्रण रखा जाता है ।

अनुच्छेद - 7
प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष के सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों द्वारा दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार औचित्यपूर्ण, न्यायोचित गैर-पक्षपातपूर्ण तथा प्रयोक्ताओं की सभी श्रेणियों के बीच समान रूप से अनुभाजित होंगे। ऐसे प्रयोक्ता प्रभारों का आकलन दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर ऐसी शर्तों पर किया जाएगा जो प्रभारों का आकलन किए जाते समय किसी अन्य एयरलाइन के लिए उपलब्ध शर्तों से कम अनुकूल न हों।

2 । दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभारों में, हवाई अड्डे पर अथवा हवाई अड्डे की प्रणाली के भीतर उपयुक्त हवाई अड्डे, पर्यावरण, हवाई दिक्चालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा सेवाओं को प्रदान करने वाले सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों की पूर्ण लागत परिलक्षित होगी किन्तु ये प्रभार इन लागतों से अधिक नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण लागत में, अवमूल्यन के पश्चात, परिसंपत्तियों पर औचित्यपूर्ण रिटर्न शामिल हो सकती है। जिन सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार किए जाते हैं उन्हें एक दक्ष तथा किफायती आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

3 प्रत्येक पक्ष अपने राज्यक्षेत्र के भीतर सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों तथा सेवाओं तथा सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाली नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों तथा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को ऐसी सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रोत्साहित करेगा जैसी की इस अनुच्छेद के पैरा (1) तथा (2) में वर्णित सिद्धांतों के अनूरूप औचित्यपूर्णता की सटीक तथा पारदर्शी समीक्षा किए जा सकने के लिए आवश्यक हो। प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोक्ताओं को प्रयोक्ता प्रभार में परिवर्तन संबंधी किसी प्रस्ताव का औचित्यपूर्ण नोटिस दे जिससे प्रयोक्ता इन परिवर्तनों को क्रियान्वित किए जाने से पहले अपने मत व्यक्त कर सके ।

4. दोनों मे सें किसी पक्ष को अनुच्छेद 20 (विवादों का निपटान) के अनुसरण में विवाद निपटान प्रक्रियाओं के संबंध में, इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान को भंग करने वाला नहीं माना जाएगा, यदि:

(i) उसने औचित्यपूर्ण समय के भीतर दूसरे पक्ष द्वारा की गई शिकायत के अनुसार चार्ज अथवा प्रैक्टिस की समीक्षा कर ली हो, और

(ii) ऐसी किसी समीक्षा के बाद, किसी चार्ज अथवा प्रैक्टिस, जो इस अनुच्छेद से असंभव हो, के विषय में सुधार संबंधी अपने अधिकार के भीतर सभी उपाय कर लिए हों ।

अनुच्छेद - 8
सीमा शुल्क तथा प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर, दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को उन विमानों, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, अतिरिक्त कलपुर्जों जिनमें इंजन, नियमित विमान उपस्कर, विमान भण्डार (जिसमें केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रयुक्त भोजन, पेय तथा मादक पदार्थ तम्बाकू जैसी मदें शामिल हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है) शामिल हैं, तथा अन्य मदों जैसे मुद्रित टिकट ब्लॉक, एयर वेबिल्स, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर एक पक्ष की नामित एयरलाइन का चिन्ह अंकित हो तथा उस नामित एयरलाइन द्वारा प्रभार के बिना वितरित सामान्य विज्ञापन सामग्री जो केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के संबंध में लागू अपने राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत सीमा शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा विमान पर लगे अन्य राष्ट्रीय शुल्कों एवं प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।

2. इस अनुच्छेद के अधीन छूट पैरा 1 में उल्लिखित मदों पर ही प्रदान की जाएंगी-

(क) दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा अथवा उसकी ओर से एक पक्ष के राज्य-क्षेत्र में विमान में लाई गई मदों;

(ख) दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में आगमन अथवा प्रस्थान करने पर, एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान में रखी गई मदों; अथवा

(ग) एक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के उड़ानगत विमानों के भीतर सहमत सेवाओं को प्रचालित करने में उपयोग हेतु दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में ली गई मदों।

3. इस अनुच्छेद के तहत छूट, तथ्य की अनदेखी किए बिना अथवा ऐसी मदों का पूर्ण उपयोग अथवा उपभोज्य संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र के भीतर न किया गया हो, बशर्त कि उक्त पक्ष के राज्य-क्षेत्र में ऐसी मदों का स्वामित्व हस्तान्तरित न किया गया हो ।

4. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी विमान कंपनियों/के विमान में नियमित एयरबोर्न उपस्कर और सामान्यतया विमान में रखी गई सामग्री और सप्लाई को केवल दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र में उस पक्ष के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से ही उतारा जा सकता है । ऐसे किसी मामले में, उन्हें तब तक संबंधित प्राधिकारियों की निगरानी में रखा जा सकेगा जब तक उनका पुन: निर्यात नहीं किया जाता अथवा सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार इनका निपटान नहीं कर दिया जाता ।

अनुच्छेद - 9

संरक्षा

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के संबंध में उसकी वैमानिकी सुविधाओं, विमानकर्मी, विमान और नामित विमान कंपनियों के प्रचालन से संबंधित, संरक्षा मानकों के अनुरक्षण के बारे में विचार-विमर्श संबंधी अनुरोध कर सकता है। ऐसा विचार-विमर्श अनुरोध के 30 दिन की अवधि के भीतर अथवा दोनों पक्षों के बीच सहमत हुई अवधि में किया जाएगा।

2. यदि, इस प्रकार के विचार-विमर्श के बाद, एक पक्ष को पता चलता है कि दूसरा पक्ष पैरा (1) उल्लिखित क्षेत्रों में सुरक्षा मानक, जो कि अभिसमय के अनुसार उस समय स्थापित न्यूनतम मानकों के कम से कम समान हो, दूसरा पक्ष नामित एयरलाइनों के संबंध में सुरक्षा मानकों का प्रभावपूर्ण ढंग से अनुरक्षण या प्रशासन नहीं कर पा रहा हो, तो प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे निष्कर्षों तथा इन न्यूनतम मानकों की पुष्टि के लिए आवश्यक सुविचारित उपायों से अवगत कराएगा तथा दूसरा पक्ष उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेगा ।

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी अथवा विमान कंपनियों की प्रचालन प्राधिकार को ऐसी स्थिति में निलंबित करने अथवा सीमा निर्धारित करने का अधिकार आरक्षित है जब दूसरा संविदाकारी पक्ष 30 दिन के अन्दर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता है।

4. इस बात पर सहमति हुई है कि दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र के लिए अथवा वहां से सेवाओं पर एक संविदाकारी पक्ष की किसी विमान कंपनी द्वारा प्रचालित कोई भी विमान दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र के भीतर रहते हुए, दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जांच के अधीन होंगे, जो मदें विमान पर तथा इसके लिए होंगी जिनकी जांच विमान के दस्तावेजों की वैधता तथा इसके कर्मियों दोनों से की जा सके तथा विमान और इसके उपस्कर (जिसे इस अनुच्छेद में "रैम्प निरीक्षण कहा गया है") की जांच की जा सके बशर्ते कि इससे अकारण कोई देरी न हो।

5. यदि, इस प्रकार के रैम्प निरीक्षण अथवा बड़ी मात्रा में रैम्प निरीक्षणों से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं-

- यह गंभीर बात होगी यदि किसी विमान अथवा कियी विमान की प्रचालन संबंधी जांच अभिसमय के अनुसार उस समय स्थापित न्यूनतम मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा हो; अथवा

- यह गंभीर बात होगी यदि अभिसमय के अनुसार उस समय स्थापित संरक्षा मानकों का प्रभावी अनुरक्षण तथा प्रशासन न हो पा रहा हो;

अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजन के लिए, संविदाकारी पक्ष द्वारा किया गया निरीक्षण इस दृष्टि से निर्बाध रूप से किया जाएगा कि जिससे यह निष्कर्ष निकले कि उस विमान अथवा इस विमान के कर्मीदल के संबंध में प्रमाण पत्र अथवा लाइसेंस की अपेक्षाएं जारी की गई थी अथवा वैध कराई गई अथवा वे अपेक्षाएं जिसके अधीन विमान प्रचालन किया जा रहा है अभिसमय के अनुरूप स्थापित न्यूनतम मानक के बराबर अथवा उनसे ऊपर नहीं है।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसार एक संविदाकारी पक्ष की विमान कंपनी द्वारा प्रचालित विमान के रैम्प निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश उस विमान कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा मना कर दिया जाता है, तब दूसरा संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैरा 5 में वर्णित किस्म की गंभीर बात होने पर हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र होगा और उस पैरा में वर्णित निष्कर्ष निकालेगा।

7. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास प्रथम संविदाकारी पक्ष के इस निष्कर्ष की स्थिति में तत्काल ही दूसरे संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी अथवा विमान कम्पनियों के प्रचालन प्राधिकार को निलम्बित अथवा उसमें कमी करने का अधिकार होगा, चाहे इसका पता किसी रैम्प निरीक्षण से चले, कई रैम्प निरीक्षणों से चले, रैम्प निरीक्षण करने की मनाही परामर्श अथवा अन्यथा से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हो, तब एयरलाइन प्रचालन की संरक्षा के विषय में तत्काल कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाता है ।

8. इस अनुच्छेद के पैरा 3 अथवा 7 के अनुसार, एक संविदाकारी पक्ष द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई बन्द कर दी जाएगी यदि एक बार ऐसी कार्रवाई किया जाना बंद कर दिया गया हो।

अनुच्छेद - 10

विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अधीन अपने-अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, दोनों संविदाकारी पक्ष पुन: इस बात की अभिपुष्टि करते हैं कि गैर कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरूद्ध नागर विमानन सुरक्षा के संरक्षण के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का एक अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत अपने-अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता सीमित किये बिना दोनों संविदाकारी पक्ष 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किये गये अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधिविरूद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय तथा 23 सितम्बर, 1971 को मॉंट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधिविरूद्ध कृत दमन अभिसमय और 24 फरवरी, 1988 को मॉंट्रियल में निष्पादित अपने-अपने प्रोटोकोल तथा विमानन सुरक्षा संबंधी अन्य अभिसमय जिनके विषय में दोनों पक्ष सदस्य बने हैं।

2. अनुरोध किये जाने पर, दोनों संविदाकारी पक्ष, गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों के विधि विरूद्ध अभिग्रहण संबंधी कृत्यों और ऐसे विमान जिनके यात्रियों तथा कर्मीदल, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों तथा नागर विमानन की सुरक्षा के प्रति किसी अन्य खतरे से निपटने के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों से, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा स्थापित तथा अभिसमय के अनुबंधों में यथा नामित सभी विमानन सुरक्षा मानकों तथा उपयुक्त संस्तुत प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्य करेंगे; वे अपने-अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख्य स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्य क्षेत्र में है तथा उसके राज्य-क्षेत्र में हवाई अड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे ऐसे विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें ।

4. प्रत्येक पक्ष उस दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश के लिए तथा वहां से प्रस्थान के लिए बोर्डिंग तथा लोडिंग से पहले तथा के दौरान यात्रियों, कर्मीदल तथा उनके बैगेज तथा वहन करने वाले सामान साथ ही कार्गो तथा विमान भंडारों की जांच के लिए तथा विमान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा अपेक्षित सुरक्षा संबंधी उपबंधो का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के किसी विशिष्ट खतरे से निपटने के लिए विशेष सुरक्षोपाय हेतु किसी भी अनुरोध के प्रति सकारात्मक रूप से विचार करेंगे ।

5. जब किसी विमान के गैर कानूनी कब्जे का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए विरूद्ध कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है, तो दोनों पक्ष, इस प्रकार की घटना अथवा खतरे को तुरन्त समाप्त करने की दृष्टि से संचार सुविधाएं तथा अन्य उपयुक्त उपायों के जरिए एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब एक पक्ष के पास यह विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार है कि दूसरा पक्ष इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा उपबंधों से दूर हट गया है, तो प्रथम पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों से तुरन्त परामर्श करने के बारे में अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे परामर्श के बारे में अनुरोध किए जाने के 15 दिनों के भीतर किसी संतोषजनक सहमति पर पहुंचने में विफल होने पर उस पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के प्रचालन प्राधिकार को रोकने, प्रतिसंहरण करने, सीमित करने या शर्तें लगाने का आधार बनेगा। आपात स्थिति में जब अपेक्षित हो, दोनों में से कोई भी पक्ष 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व अंतरिम कार्रवाई कर सकता है ।

7. पैरा (6) के अनुसार की गई कोई कार्रवाई बंद कर दी जाएगी यदि इस अनुच्छेद के प्रावधानों का दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुपालन न किया जा रहा हो ।

अनुच्छेद - 11
वाणिज्यिक सुअवसर

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों को विमान सेवाओं तथा हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए अपेक्षित अन्य अनुषंगी उत्पादों तथा सुविधाओं तथा विमान सेवाओं के प्रोत्साहन तथा बिक्री के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित विमान कंपनी (कंपनियों) को प्रवेश, रिहाईश तथा रोजगार के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के कानूनों विनियमों तथा नियमों के अनुसार, दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रबन्धकीय, बिक्री, तकनीकी, प्रचालनात्मक और विमान सेवाओं की व्यवस्था के लिए अपेक्षित अन्य विशेष स्टाफ तथा अन्य अनुषंगी उत्पाद तथा सुविधाओं को राज्य-क्षेत्र के भीतर लाने और उनके रख-रखाव करने का अधिकार होगा । स्टाफ संबंधी ऐसी अपेक्षा को, एयरलाइन के विकल्प पर, किसी भी राष्ट्रीयता वाले अपने स्वयं के कार्मिकों अथवा ऐसे दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में ऐसी सेवाएं निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत तथा दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में प्रचालनरत किसी अन्य एयरलाइन, संगठन अथवा कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।

3. प्रत्येक पक्ष की कोई भी एयरलाइन दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से तथा, एयरलाइन के विवेकाधिकार पर, अपने एजेंटों के माध्यम से, हवाई सेवाओं तथा अन्य अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं तथा सुविधाओं की बिक्री में संलिप्त हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए एयरलाइन को अपने स्वयं के पारवहन दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, तथा कोई भी व्यक्ति, उस राज्य-क्षेत्र की मुद्रा में अथवा मुक्त विनिमिय मुद्राओं में, ऐसे पारवहन का क्रय कर सकता है ।

4. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइन (एयरलाइनों) को, मांग किए जाने पर, हवाई पारवहन तथा अन्य अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं तथा सुविधाओं के साथ-साथ ऐसे राजस्व पर अर्जित ब्याज (जिसमें अंतरण की प्रतीक्षा में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज भी शामिल है) की बिक्री के संबंध में ऐसी एयरलाइनों द्वारा अर्जित स्थानीय रूप से संवितरित राशियों से अधिक स्थानीय राजस्व राशियों को मुक्त रूप सें किसी विनिमय मुद्रा में परिवर्तित तथा अंतरित करने का अधिकार होगा। मुद्रा परिवर्तन तथा धन-प्रेषण की अनुमति, उनके संबंध में बिना किसी प्रतिबंध अथवा कराधान के, चालू लेन-देन के लिए लागू विनिमय दर पर तथा एयरलाइन की धन प्रेषण के आरंभिक आवेदन की तारीख को तत्परता से दी जाएगी ।

5. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में, ईंधन की खरीद करने समेत, स्थानीय व्यय संबंधी भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने की अनुमति होगी । अपने विवेकाधिकार पर, प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनें दूसरे पक्ष के राज्य क्षेत्र में ऐसे व्यय का भुगतान दूसरे पक्ष के राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार मुक्त रूप से विनिमेय मुद्राओं में कर सकती हैं ।

6. इस अनुच्छेद में उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, इस अनुच्छेद के तहत अधिकारों का प्रयोग इस करार के प्रयोजनों के अनुसार लागू घरेलू नियमों तथा विनियमों के अनुरूप होगा। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष की नामित विमान कंपनियों द्वारा स्थानीय तौर पर संवितरित राशि से अधिक के स्थानिक राजस्व की राशि के अंतरण पर प्रतिबंध लगाता है, तो दूसरे पक्ष के पास प्रथम पक्ष की नामित विमान कंपनियों पर पारस्परिक आधार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा ।

अनुच्छेद - 12

सहकारी विपणन प्रबंध व्यवस्था

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) निम्न एयरलाइनों के साथ मिलकर सहकारी विपणन प्रबंध-व्यवस्था जैसे कोड शेयर, ब्लॉक स्पेस अथवा कोई अन्य संयुक्त उद्यम व्यवस्था संबंधी करार कर सकती हैं:-

(क) उसी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से; अथवा
(ख) दूसरी संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से; अथवा
(ग) तीसरे देश की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से !

2. सहकारी विपणन प्रबंध-व्यवस्था में शामिल प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास मार्ग अधिकारों तथा क्षमता हकदारियों सहित अध:स्थ (अंडरलाइंग) यातायात अधिकार होंगे तथा जो ऐसी प्रबंध-व्यवस्था विषयक सामान्यत: लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी ।

3. सहकारी प्रबंधक-व्यवस्था में शामिल सभी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास अध:स्थ (अंडरलाइंग) मार्ग अधिकार होंगे तथा जो ऐसी प्रबंध-व्यवस्था विषयक सामान्यत: लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी ।

4. ऐसी प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत निष्पादित विमान सेवाओं के जरिए प्रचालित कुल क्षमता की गणना, प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता हकदारी में से की जाएगी । ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा पेश की गई क्षमता की गणना उस एयरलाइन्स को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता हकदारी में से नहीं की जाएगी ।

5. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष को नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को विमानों की संख्या, आकार-प्रकार तथा श्रेणी जैसे प्रतिबंध के बिना कोड शेयर प्रचालन सेवा में शामिल विमानों के बीच ट्रांस्फर ट्रैफिक (अर्थात स्टार बर्स्ट) को वहन करने की अनुमति होगी ।

6. प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) के अतिरिक्त, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) से अनुमोदन हेतु अनुसूचियां फाइल करने की मांग कर सकते हैं तथा सहकारी विपणन प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत विमान सेवाएं आरंभ करने से पूर्व कोई अन्य दस्तावेज भी मुहैया कर सकते हैं ।

7. ऐसी प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत बिक्री संबंधी सेवओं का प्रस्ताव करते समय, संबंधित एयरलाइन अथवा इसका एजेंट बिक्री के समय खरीदार को यह स्पष्ट करेगा कि कौन-सी एयरलाइन प्रत्येक सेवा सेक्टर पर प्रचालन एयरलाइन होगी तथा खरीदार कौन-सी एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ संविदागत संबंध बनाने जा रहा है ।

8. कोड शेयरिंग सेवाएं मुहैया कराने से पहले, कोड शेयरिंग भागीदार इस बात पर सहमत हों कि कौन-सा संविदाकारी पक्ष सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा (फेसिलिटेशन), दायित्व तथा यात्रियों से संबंधित अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा । ऐसे किसी करार को कोड शेयर प्रबंध-व्यवस्था को कार्यान्वित करने से पहले, दोनों पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास फाइल करना होगा ।

अनुच्छेद 13
इंटर माडल सेवाएं

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को यात्री तथा कार्गो के विमान परिवहन के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य-क्षेत्र में किसी अवतरण-स्थल के लिए या वहां से किसी प्रकार का इंटर-मॉडल परिवहन लगाने की अनुमति होगी। ऐसी एयरलाइन(एयरलाइनें) कोड शेयर सहित अन्य वाहकों के साथ अपने स्वयं के इंटर-माडल परिवहन लगाने या प्रबंध व्यवस्था के जरिए उपलब्ध कराने का विकल्प चुन सकती हैं । इंटर माडल सेवाएं थ्रू सेवा के रूप में तथा विमान व इंटर-माडल परिवहन की संयुक्त सेवा के रूप में एकल मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती है बशर्ते यात्रियों तथा शिपर्स को ऐसी परिवहन व्यवस्था के संबंध में प्रदाताओं के अनुरूप सूचित किया जाए।

अनुच्छेद - 14
अनुसूचियों का अनुमोदन

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे सहमत सेवाएं आरंभ करने से कम से कम तीस (30) दिन पहले, उड़ान अनुसूचियों, जिनमें सेवा की श्रेणी और इसकी आवृत्ति, प्रयुक्त किए जाने वाले विमानों की श्रेणी तथा प्रत्येक अवतरण स्थल पर उड़ान समयावली से संबंधित सूचना शामिल हो, को उनके विचार तथा अनुमोदन के लिए फाइल करे । इसी प्रकार की सूचना प्रत्येक आयटा यातायात सीजन से कम से कम तीस (30) दिन पहले ही और इसी प्रकार जब कभी भी सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाना हो, तब भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें) दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए कोई अन्य सूचना भी प्रस्तुत करेंगे ताकि इस करार की सभी अपेक्षाएं विधिवत रूप से पूर्ण की जा सके ।

अनुच्छेद - 15
आंकड़े उपलब्ध कराना

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवाएंगे, जिनमें इस प्रकार के यातायात के चढ़ने और उतरने के अवतरण-स्थलों का उल्लेख किया गया हो । इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के तुरंत बाद दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित हैं ।

2. अनुरोध किए जाने पर, प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस दूसरे पक्ष के राज्य-क्षेत्र के लिऐ और वहां से वाहित यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवायेंगे ।

अनुच्छेद - 16
टैरिफ

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित समस्त सेवाओं के संबंध में टैरिफ का निर्धारण प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा किया जायेगा। ऐसे टैरिफ बाजार की तर्कसंगत स्थितियों के साथ-साथ प्रचालन लागत तथा औचित्यपूर्ण लाभ सहित सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए, इसके वाणिज्यिक प्रतिफल पर आधारित हों।

2. पैरा(1) में निर्धारित टैरिफ को एक पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. पूर्ववर्ती होने के बावजूद, प्रत्येक पक्ष को निम्नलिखित मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा :

(क) ऐसे टैरिफ से बचना जिनके लागू करने से प्रतिस्पर्धा-रोधी वातावरण बनता हो अथवा जो किसी प्रतिस्पर्धी को अशक्त बनाता हो या किसी मार्ग से प्रतिस्पर्धी को वर्जित करता हो अथवा ऐसी आशंका हो।
(ख) उपभोक्ताओं को ऐसे टैरिफ से बचाना जो किसी प्रभावी स्थिति की वजह से अतिरेक अथवा प्रतिरोधक बनती हो; और
(ग) एयरलाइनों को ऐसे टैरिफ से बचाना, जो घातक हो अथवा कृत्रिम रूप से कम हो।

4 इस अनुच्छेद के पैरा (3) में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइनें टैरिफ निर्धारित करने से संबंधित सूचना प्रदान करेंगी।

5. यदि, कोई पक्ष यह महसूस करता है कि दूसरे पक्ष की नामित एयरलाइन द्वारा लगाया गया टैरिफ इस अनुच्छेद के पैरा (3) में निर्धारित प्रतिफल के अनुरूप नहीं है तो वह इस असंतोष को यथाशीघ्र कारणों सहित दूसरे पक्ष को अधिसूचित करेगा, साथ ही इस अनुरोध-पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर-भीतर परामर्श के लिए अनुरोध करेगा। यदि दोनों पक्ष नोटिस में व्यक्त असंतोष को लेकर किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो प्रत्येक पक्ष उस समझौते का निर्वाह करने का भरसक प्रयास करेगा। समझौता के होने तक चालू टैरिफ ही लागू रहेगा।

अनुच्छेद-17
बहुपक्षीय करार

1 इस करार के कार्यान्वयन में, दोनों पक्षों को अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना चाहिए क्योंकि ये प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा पर लागू हैं।

2. इस करार के लागू होने के पश्चात, यदि दोनों संविदाकारी पक्ष इस करार में शामिल मामलों का समाधान करने वाले किसी बहुपक्षीय करार का संविदागत पक्ष बन जाते हैं तो कोई भी संविदाकारी पक्ष इस आशय के परामर्श के संबंध में अनुरोध कर सकता है कि क्या बहुपक्षीय करार को ध्यान में रखते हुए इस करार में संशोधन किया जाए।

अनुच्छेद-18
परामर्श

1. प्रत्येक पक्ष किसी भी समय, इस करार के निर्वचन, अनुप्रयोग, क्रियान्वयन अथवा करार में संशोधन अथवा इसके अनुपालन के संबंध में परामर्श के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकता है।

2. दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के असहमत होने पर, दूसरे पक्ष द्वारा अनुरोध-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन के भीतर-भीतर ऐसे परामर्श प्रारंभ कर दिए जाएं।

अनुच्छेद-19
संशोधन

1. यह करार दोनों पक्षों की लिखित सहमति द्वारा संशोधित किया जाएगा।

2. ऐसी सहमति से हुआ कोई भी संशोधन इस करार के अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा।

3. पैरा (2) के बावजूद, दोनों पक्ष इस करार के अनुबंधों में किसी प्रकार का संशोधन करने के बारे में तत्काल प्रभाव से सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद - 20
विवादों का निपटान

1. इस करार के तहत उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का विवाद, जिसे औपचारिक परामर्शों से सुलझाया नहीं जा सका हो, दोनों पक्षों की सहमति से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को फैसले के लिए भेजा जा सकता है। यदि दोनों पक्ष सहमत नहीं हा पाते हैं, तो विवाद को, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, निम्नानुसार स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप मध्यस्थ को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

2. मध्यस्थता निम्नानुसार गठित तीन मध्यस्थों के एक अभिकरण द्वारा की जाएगी :

(क) मध्यस्थता संबंधी किसी अनुरोध की प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर-भीतर, प्रत्येक पक्ष किसी मध्यस्थ का नाम बताएगा । इन दोनों मध्यस्थों का नाम आने के बाद 60 दिन के भीतर-भीतर, वे सहमति से एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो मध्यस्थता अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा;

(ख) यदि कोई भी पक्ष किसी मध्यस्थ का नाम बताने में विफल रहता है, अथवा इस पैरा के खंड (क) के अनुरूप तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं होती है, तो कोई भी पक्ष 30 दिन के भीतर-भीतर आवश्यक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है । यदि परिषद का अध्यक्ष दोनों पक्षों में से किसी पक्ष की राष्ट्रीयता वाला है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष जो इस आधार पर अयोग्य न हो, यह नियुक्ति करेगा । अध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम पात्र उपाध्यक्ष दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा इस पैरा के अंतर्गत तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने की स्थिति में, उस तीसरे मध्यस्थ की राष्ट्रीयता किसी भी पक्ष की राष्ट्रीयता से भिन्न होगी ।

3. अन्यथा सहमति होने की स्थिति को छोड़कर, मध्यस्थ अभिकरण इस करार के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगा और अपने प्रक्रियागत नियम स्थापित करेगा । एक बार गठित हो जाने के बाद, यह अभिकरण अपना अन्तिम निर्णय देने तक अंतरिम राहत उपायों की अनुशंसा कर सकता है । अभिकरण के निदेश अथवा किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, अभिकरण के पूरी तरह गठित हो जाने के बाद पंद्रह (15) दिन के भीतर-भीतर मध्यस्थता संबंधी निश्चित मुद्दों तथा अनुसरित की जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के बारे में एक बैठक की जाएगी ।

4. अन्यथा सहमति होने अथवा अभिकरण द्वारा यथा निर्देशित होने की स्थितिको छोड़कर, प्रत्येक पक्ष अभिकरण के पूरी तरह गठित होने के 45 दिन के भीतर-भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। 60 दिन बाद उत्तर अपेक्षित होंगे । अभिकरण किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तरों की नियत तारीख के बाद 15 दिन के भीतर एक सुनवाई करेगा ।

5. अभिकरण सुनवाई के पूरा होने के 30 दिन के भीतर-भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हुई हो, तो दोनों पक्षों के उत्तर प्रस्तुत किए जाने के बाद, एक लिखित निर्णय देगा। अभिकरण के बहुमत का निर्णय मान्य होगा ।

6. दोनों में से कोई भी पक्ष निर्णय दिए जाने के बाद, 15 दिन के भीतर-भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के संबंध में अनुरोध कर सकते हैं तथा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर-भीतर जारी किया जाना होगा ।

7. प्रत्येक पक्ष, अपने-अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक मध्यस्थ अभिकरण के किसी भी निर्णय अथवा अवार्ड को पूर्ण रूप से प्रभावी करेगा ।

8. मध्यस्थ अभिकरण पर हुए व्यय को, जिनमें मध्यस्थों के शुल्क तथा खर्चे शामिल हैं, दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन करना होगा । इस अनुच्छेद के पैरा (2) के खंड (ख) की प्रक्रियाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय को मध्यस्थ अभिकरण पर हुए व्यय का भाग माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 21
समाप्त करना

कोई भी पक्ष किसी भी समय करार समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में लिखित नोटिस दूसरे पक्ष को दे सकता है। ऐसा ही नोटिस उसी समय अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजना होगा। दूसरे पक्ष द्वारा ऐसी सूचना के प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष की समयावधि के तुरंत पूर्व यह नोटिस प्राप्त होने के स्थान पर मध्यरात्रि से समाप्त हो जाएगा, यदि इस अवधि के समाप्त होने से पहले करार के दोनों पक्षों द्वारा नोटिस वापस नहीं ले लिया जाता। दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्त सूचना की पावती न मिलने पर इस नोटिस की सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को प्राप्त सूचना के चौदह दिन बाद की तिथि मानी जाएगी।

अनुच्छेद - 22
इकाओ में पंजीकरण

यह करार तथा इसके सभी संशोधन हस्ताक्षर सहित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत कराना होगा।

अनुच्छेद - 23
लागू होना

यह करार, दोनों पक्षों के बीच राजनयिक नोट्स के आदान-प्रदान के बाद, लागू होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्रत्येक पक्ष ने इस करार तथा इसके अनुबंधों के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत हो जाने पर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

21 मई, 2010 नई दिल्ली

यह दिनांक ------------(माह तथा वर्ष)को------(स्थान) में अंग्रेजी में, जो प्रामाणिक पाठ होगा दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया। हिंदी और-------------भाषाओं में करार का अनुवाद तैयार कराया जाएगा और अंग्रेजी पाठ से उनकी समरूपता की पुष्टि हो इसके लिए राजनयिक नोटों का आदान-प्रदान करके जब सहमति हो जाए तब उनको समान रूप से प्रामाणिक माना जाएगा। निर्वचन से संबंधित किसी भी मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

कृते भारत गणराज्य की सरकार

नसीम जैदी

(डा. नसीम जैदी)
महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय

कृते बोसनिया तथा हर्जेगोविना की मंत्रिपरिषद

(रूडो विडोविक)
संचार एवं परिवहन मंत्री